न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– **112/2019**

दायर तारीख 22.05.2019

अनवान

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

...........प्रार्थी

बनाम

01. जिला वन अधिकारी भीलवाड़ा।
02. क्षैत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ।
03. सरपंच ग्राम पंचायत गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. सचिव ग्राम पंचायत गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– पैरोकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(3)

–: निर्णय :–

दिनांक 27.05.2019

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरोकार तहसीलदार बिजौलियां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 304 में आराजी नम्बर 186/1 रकबा 8–09 बीघा किस्म गे.मु. आबादी विकास पंचायत गुढा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नक्शा लट्ठा में तरमीम नही होकर आराजीयात पर कब्जा वन विभाग का हैं। आराजी नम्बर 186/1 रकबा 8–09 बीघा में नक्शा लट्ठा में सुनवाई उपरान्त नक्शे में तरमीम का आदेश दिलाना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षीगण क्षैत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ ने प्रकरण में फर्द अहकाम पर नक्शे में तरमीम की सहमति बाबत् हस्ताक्षर अंकित किये हैं। नक्शे में तरमीम किये जाने बाबत् क्षैत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ को कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रकरण का DILRMP के तहत् निस्तारण किया जाना अपेक्षित हैं। अतः दर्ज भूमि के नक्शे में तरमीम किया जाना हम उचित समझते हैं। नक्शे में तरमीम करने हेतु क्षैत्रीय वन अधिकारी माण्डलगढ ने सहमति व्यक्त की हैं।

बहस पेरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं कि के ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 304 में आराजी नम्बर 186/1 रकबा 8–09 बीघा किस्म गे.मु. आबादी विकास पंचायत गुढा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नक्शा लट्ठा में तरमीम नही होकर आराजीयात पर कब्जा वन विभाग का हैं। वन विभाग की सहमति अनुसार संलग्न नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम की स्वीकृती प्रदान की जाती हैं। तहसीलदार इस अनुसार नक्शे में तरमीम करने की सुनिश्चितता करें।

आदेश आज दिनांक 27.05.2019 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned by CamScanner